


भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), (आस्का) ओडिशा
में गैर चिकित्सा पर्यवेक्षक के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-
स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसधान संस्थान
(आरएलटीआरआई), (आस्का) ओडिशा में गैर चिकित्सा पर्यवेक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों का
मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक
मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी
आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री अंम्बा दत्त बवाड़ी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-
मेल पर भेज सकते हैं।


(अंम्बा दत्त बवाड़ी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,2019

सा.का.नि.राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आसका, ओडीशा में गैर चिकित्सा पर्यवेक्षक (एमटीएस) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2001 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर, एतदद्वारा क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान, आसका ओडीशा में गैर चिकित्सा पर्यवेक्षक (एमटीएस) के पद पर भर्ती कि पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

16. लघु शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन नियमों को क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आसका, ओडीशा, गैर चिकित्सा पर्यवेक्षक (एमटीएस), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(17) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।

2. पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में ये स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती कि पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती कि पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. अनर्हता-कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गैर चिकित्सा पर्यवेक्षक (एमटीएस)	एक पद* (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसंचिवीय	स्तर-4 (रु. 25500 से 81100)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच(केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकती है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पद्ति भर्ती सीधे होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता
अनिवार्यः	लागू नहीं	दो वर्ष	100% पदोन्नति के द्वारा जिसके नाकाम होने पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा दोनों के नाकाम होने पर सीधी भर्ती के द्वारा

टिप्पणी:- अन्यथा योग्य उम्मीदवार के मामले में योग्यतों को सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिल किया जा सकता			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति:- पैरा मेडिकल वर्कर ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केंद्र सरकार के अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों (ii) Rs.21700-69100/- (स्तर -3) के पे मट्रिक्स में पोस्ट या समकक्ष ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखते हों।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1 निदेशक-आरएलटीआरआई आसका अध्यक्ष</p> <p>2 मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरएलटीआरआई, आसका -सदस्य</p> <p>3. क्षेत्र में एक अन्य केंद्र / राज्य सरकार के कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं